

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



कार्यवाही विवरण

जयपुर विकास प्राधिकरण स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की 42वीं बैठक दिनांक 28.10.2025 को सायं 06:00 बजे श्रीमती आनन्दी, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित हुए :—

1. श्री गौरव सैनी, सचिव

– सदस्य

2. श्री नरेन्द्र कुमार आर्य, निदेशक (विधि)

. सदस्य

3. श्री रवि राय वर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)

सदस्य

4. श्री अंकुर दाधीच, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान)

- सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित हुए :-

- 1. श्री राजेश वर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान)
- 2. श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन-8
- 3. श्री कमल सिंह शेखावत, सहायक नगर नियोजक (मा.प्लान)
- 4. श्री नितिन मीणा, सहायक नगर नियोजक, जोन-8

एजेण्डा संख्या-1 (42 / 28.10.2025)

विषय :- भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 41वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत्।

समिति द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन समिति की 41वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण की पृष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या-2 (42/28.10.2025) जोन-8

विषय :— योजना दुसाद नगर द्वितीय के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1 से 8 तथा दुकान नं. 7 से 13 कुल क्षेत्रफल 1556.00 वर्गमीटर (1861.03 वर्गगज) का आवासीय से मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भू—उपयोग उपान्तरण किये जाने बाबत्।

क्र.स.	विवरण	प्रकरण की स्थिति
1.	आवेदक का नाम	श्रीमती सुल्ताना पत्नी श्री अब्दुल रशीद एवं श्री अब्दुल
		खालिद, अब्दुल सईद पुत्रान श्री अब्दुल रशीद।
	(आवेदन की दिनांक)	(दिनांक 14.04.2025)
2.	आवेदित भूमि / भूखण्ड का विवरण।	दुसाद नगर द्वितीय के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1 से 8
		तथा दुकान नं. 7 से 13 कुल क्षेत्रफल 1556.00 वर्गमीटर
3.	(i) जारी पट्टा विलेख	जविप्रा द्वारा दिनांक 01.09.2010 को पुर्नगठन आदेश जारी
		किया गया एवं नाम हस्तान्तरण आदेश दिनांक 14.09.
		2025 को आवेदक के पक्ष में जारी किया गया।
		आवासीय
	(ii) भूखण्ड का भू–उपयोग	
	(iii) भूखण्ड का माप	1556.00 वर्गमीटर (1861.03 वर्गगज)
	(iv) सड़क की चौड़ाई पटटा एवं	100 फੀਟ
	अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार	
4.	आवेदक द्वारा चाहा गया भू—उपयोग।	मल्टीप्लेक्स

Signature yalid

Digitally signed by Ankar Dadheech Designation. Additional Chief town Planner

Date: 2025.11.36 7:03:03 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18635866 eSign 1.0





2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सहकारी समितियां एक बेहतर दिनया का निर्माण करती है

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

5.	मास्टर विकास योजना २०११ अनुसार	आवासीय
	भू–उपयोग।	
6.	मास्टर विकास योजना—2025 / जोनल विकास योजना—02 के अनुसार—	
	(i) भू–उपयोग	मास्टर विकास योजना—2025 एवं जोनल
		विकास योजना—02 के अनुसार आवासीय भू—उपयोग दर्शित है।
	/::\	जोनल विकास योजना—02 के अनुसार 30 मीटर
7.	(ii)सड़क की चौड़ाई आवेदित भूमि/भूखण्ड की मौका	·
/.	स्थिति –	9
	(i) मौके पर निर्माण की स्थिति	कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूखण्ड
		की चारदीवारी निर्मित है, भूखण्ड के अग्र भाग में दुकानें निर्मित है एवं सैक्टर रोड से प्रभावित है।
	(ii) ROW में निर्माण	हॉ
	(iii) सैटबैक क्षेत्र में निर्माण	हॉ
	(iv) अनुमोदित भवन मानचित्र की तिथि	नहीं
8.	भू—उपयोग परिवर्तन आवेदन व प्रशासनिक राशि जमा है अथवा नही?	जमा है।
9.	पुर्नग्रहण शुल्क लागू है अथवा नही ?	उल्लेख नही है।
10.	जोन द्वारा आपत्ति/ सुझाव हेत्	दिनांक 14.08.2025 एवं 15.08.2025 को दो राज्य स्तरीय
	प्रकाशित विज्ञप्ति	समाचार पत्र दैनिक भास्कर व जयपुर महानगर टाईम्स में
	(1) विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक	15 दिवस बाबत आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये गये थे,
	(2) दोनों समाचार पत्र राज्य स्तरीय है	जिसके क्रम में जोन कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नही
11.	अथवा नही? अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 के	हुई।
11.	अनुसार आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 के अनुसार वांछित भू—उपयोग मास्टर प्लान/जोनल
	के प्रकरण के संबंध में प्रावधान	डवलपमेंट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/योजना से अनुरूप
		नही होने पर प्रकरण स्थानीय स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन
		समिति की अनुशंषा सहित राज्य स्तरीय भू—उपयोग
		परिवर्तन समिति में प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।
12.	अधिसूचना दिनांक ०६.११.२०२४ के	जविप्रा स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति
13.	अनुसार प्रकरण के अनुमोदन का स्तर प्रश्नगत भूमि की मौका स्थिति व	कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूखण्ड
15.	आस—पास स्थित गतिविधियों के संबंध	की चारदीवारी निर्मित है, भूखण्ड के अग्र भाग में दुकानें
	में जोन की रिपोर्ट	निर्मित है एवं सैक्टर रोड से प्रभावित है।
14.	जोन की अभिशंषा	योजना दुसाद नगर द्वितीय के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1
		से 8 तथा दुकान संख्या 7 से 13 कुल क्षेत्रफल 1556.00
		वर्गमीटर के संबंध में आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन आदेश
		कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 5519, दिनांक 01.09.2010 को श्री अब्दुल रशीद, श्री अब्दुल सईद एवं अब्दुल खालिद के
		पक्ष में जारी किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का नाम
		हस्तान्तरण सुल्ताना बेगम पत्नी स्व. शेख अब्दुल रशीद,
		शेख अब्दुल सैयद एवं शेख अब्दुल खालिद पुत्रान शेख

Signature yalid

Digitally signed by Ankar Dadheech Designation Additional Chief town Planner

Date: 2025.11.06,7:03:03 IST Reason: Approved



थंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सहकारी संगितियाँ एक बेहतर द्विया व्यव विश्वाण करती हैं

www.jda.urban.rajasthan.gov.in पुनिय करती है
अब्दुल हमीद के पक्ष में जिरये नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 420 दिनांक 14.09.2025 द्वारा जारी किया गया है। मास्टर प्लान—2011 के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड का भू—उपयोग आवासीय दर्शित है।
आवेदित भूमि का भू—उपयोग मास्टर डवलमेंट प्लान—2025 तथा जोनल डवलपमेंट प्लान—02 के अनुसार आवासीय है तथा जोनल प्लान की 30 मीटर सडक पर स्थित है। प्रश्नगत भूमि तथा इसके साथ लगती हुई कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से (मल्टीप्लेक्स) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी
किये जाने बाबत बीपीसी (एलपी) की 387वीं बैठक दिनांक 04.03.2025 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समिति द्वारा ''सर्वप्रथम योजना दुसाद नगर द्वितीय के भूखण्ड संख्या 1 से 8 तथा दुकान नं. 1 से 13 कुल क्षेत्रफल 1556.00 वर्गमीटर के पुर्नगठित भूखण्ड का भू—उपयोग परिवर्तन हेतु नियमानुसार कार्यवाही पूर्व होने के पश्चात ही प्रकरण में
अग्रिम कार्यवाही करने हेतु करने हेतु निर्देशित किया गया है।" मास्टर प्लान के डीपीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग में मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ Permissible गतिविधि है। प्रश्नगत भूमि के साथ लगती हुई कृषि भूमि, क्षेत्रफल 1536.0 वर्गमीटर के साथ पुर्नगठित कर मल्टीप्लेक्स स्थापित किये
जाने बाबत प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रकार के भू—उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू—उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम 2024 की अधिसूचना क्रमांक 11(8)नविवि / 2020 दिनांक 06.11.2024 जारी किये
गये है, जिसके बिन्दु संख्या 5 में अंकित टिप्पणी—6 (सिमितियों की शक्तियाँ) (1) की तालिका के बिन्दु संख्या—2 (iii) अनुसार पट्टाशुदा भूखण्ड का मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां/अनुमोदित योजना के अनुसार उसी श्रेणी के अनुमित योग्य (Permissible) उपयोग में परिवर्तन चाहे
जाने पर प्रकरण स्थानीय निकाय स्तरीय गठित सक्षम भू—उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः अधिसूचना दिनांक 24.02.2021, 20.02.2023 व 06.11.2024 तथा सचिव जविप्रा द्वारा जारी आदेश दिनांक
21.07.2025 के क्रम में प्रश्नगत भूखण्ड का आवासीय से मल्टीप्लेक्स प्रयोजार्थ भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण को जविप्रा स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ व निर्णयार्थ रखे जाने हेतु प्रारूप एजेण्डा नोट अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
n i çı -nını mirnet eğ niğir e i

15. मास्टर प्लान शाखा से संबंधित विचारणीय बिन्दु व अन्य तथ्यात्मक

1. MDP-2011, MDP-2025/ZDP-02 के अनुसार भूखंड का भू उपयोग आवासीय दर्शित है।

Signature yalid

Digitally signed by Ankar Dadheech Designation Additional Chief town Planner

Date: 2025.11.06 77:08:03 IST Reason: Approved





<u> </u>		www.jda.urban.rajasthan.gov.in	सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं
	बिन्दु	आवेदक द्वारा मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भू उ हेतु आवेदन किया गया है। 2. आवासीय भू उपयोग में मास्टर विकास यो वॉल्यूम—4 डीपीसीआर के अनुसार मन्यूनतम 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं असडक की उपलब्धता होने पर (अनुमित योग्य) श्रेणी में रखा गया है। 3. ग्राम सांगानेर के खसरा नंबर 546/5149 एवं 5649/544 कुल क्षेत्र वर्गमीटर को मल्टीप्लेक्स हेतु धारा 90ए हेतु आवेदित किया गया था। डीपीसीआ मल्टीप्लेक्स हेतु न्यूनतम 2000 वर्ग मीट आवश्यकता है। अतः आवेदक द्वारा 1536.6 कृषि भूमि में दुसाद नगर द्वितीय के भूखण् 8 एवं दुकान संख्या 7 से 13 कुल क्षेत्र वर्गगज (1556.00 वर्गमीटर) को मिलाते हु से 3092.00 वर्गमीटर का संयुक्त रूप प्रयोजनार्थ पष्टा जारी किये जाने हेतु आवे है। 4. बीपीसी (एल.पी.) की 387वीं बैठक दिनां के एजेण्डा संख्या—11 में लिये निर्णय के संख्या 1 से 8 एवं दुकान संख्या 7 से 13 1861.03 वर्गगज (1556.00 वर्गमीटर) भूखण्ड का भू—उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही किये जाने के पश्चात राजस्य ग्रही खसरा नं. 544/5148, 546, 5649/544 कुल क्षेत्रफल 1536 वर्गमी मल्टीप्लेक्स उपयोग हेतु धारा 90ए की अबाबत निर्णय लिया गया है। 5. अतः भूखण्ड संख्या 1 से 8 एवं दुकान र कुल क्षेत्रफल 1861.03 वर्गगज (1556.00 भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदित प्रकरण के अध्यधीन स्वीकृति दिये जाने पर सर्विकया जाना प्रस्तावित हैरू— 1. आवेदित पुर्नगठित भूखण्ड का भू—उराजस्य ग्राम सांगानेर के खसरा नं0 546/5149 एवं 5649/544 कुल वर्गमीटर की 90ए मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ एकल पट्टा लेने की शर्त किया जावे। 2. मौके पर भूखंड के सामने 30 मीटर के अग्र भाग में दुकाने निर्मित है जो प्रमावित है। आवेदित भूखण्ड के	पयोग परिवर्तन जना—2025 के ल्टिप्लेक्स हेतु मीटर चौड़ी Permissible 544 / 5148, एल 1536.00 की कार्यवाही एर के अनुसार र क्षेत्रफल की ०० वर्गमीटर अ रह संख्या 1 से प्रफल 1861.03 हुए संयुक्त रूप से Multiplex दन किया गया क 04.03.2025 अनुसार भूखण्ड 3 कुल क्षेत्रफल के पुर्नगिठित प्र नियमानुसार पर भूमि की भीग्रम कार्यवाही संख्या 7 से 13 वर्गमीटर) का पर निम्न शर्ती मेति में विचार पयोग परिवर्तन 544 / 5148, क्षेत्रफल 1536 जनार्थ होने के मल्टीप्लेक्स पर ही मान्य चौड़ी सड़क सेक्टर रोड से
		प्लान/जोनल प्लान की 30 मीटर च	

Signature yalid

Digitally signed by Anker Dadheech Designation Additional Chief town Date: 2025.11.06.77:08:03 IST Reason: Approved Planner

ROW सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु आवश्यक



2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

	भूमि आवेदक से निशुल्क समर्पित करायी जाना प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूखंड के सामने सड़क मार्गाधिकार एवं सेटबैक में निर्मित दुकाने/निर्माण को भू—उपयोग परिवर्तन आदेश/मांग पत्र जारी किये जाने से पूर्व
	हटवाया जाना प्रस्तावित है।
प्रकरण उपरोक्त वर्णित तथ्यों के क्रम में जविप्र	। ।। स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष विचारार्थ व
निर्णयार्थ रखा जाना प्रस्तावित है।	

समिति का निर्णय :--

सिमिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदित भूखंड का भू—उपयोग मास्टर विकास योजना—2011, मास्टर विकास योजना—2025 एवं जोनल विकास योजना—2 के अनुसार आवासीय है। आवेदक द्वारा मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। आवासीय भू—उपयोग में मल्टीप्लेक्स हेतु न्यूनतम 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 30 मीटर चौड़ी सडक की उपलब्धता होने पर Permissible (अनुमित योग्य) गतिविधि है।

उल्लेखनीय है कि भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदित भूमि {दुसाद नगर द्वितीय के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1 से 8 एवं दुकान संख्या 7 से 13 कुल क्षेत्रफल 1861.03 वर्गगज (1556.00 वर्गमीटर)} से लगते हुए आवेदक के ही स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम सांगानेर के खसरा संख्या 544/5148, 546/5149 एवं 5649/544 कुल क्षेत्रफल 1536.00 वर्गमीटर का मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदित प्रकरण में बीपीसी (एल.पी.) की 387वीं बैठक दिनांक 04.03.2025 के एजेण्डा संख्या—11 में दुसाद नगर द्वितीय के भूखण्ड संख्या 1 से 8 एवं दुकान संख्या 7 से 13 कुल क्षेत्रफल 1861.03 वर्गगज (1556.00 वर्गमीटर) के पुनर्गठित भूखण्ड का भू—उपयोग परिवर्तन मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ किये जाने के पश्चात ही राजस्व ग्राम सांगानेर के खसरा संख्या 544/5148, 546/5149 एवं 5649/544 कुल क्षेत्रफल 1536 वर्गमीटर भूमे की मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90ए की अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था।

अतः भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदित दुसाद नगर द्वितीय के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1 से 8 एवं दुकान संख्या 7 से 13 कुल क्षेत्रफल 1861.03 वर्गगज (1556.00 वर्गमीटर) के मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदित प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त निम्न शर्तो के साथ जोन के प्रस्तावानुसार आवासीय से मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

- 1. आवेदित पुनर्गिठित भूखण्ड का भू—उपयोग परिवर्तन राजस्व ग्राम सांगानेर के खसरा संख्या 544 / 5148, 546 / 5149 एवं 5649 / 544 कुल क्षेत्रफल 1536 वर्गमीटर की धारा 90ए के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ स्वीकृति जारी होने के पश्चात संयुक्तीकृत रूप से मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ एकल पट्टा लेने की शर्त पर ही मान्य किया जावे।
- 2. मौके पर भूखंड के अग्र भाग में जोनल विकास योजना की 30 मीटर चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार में दुकाने निर्मित है। अतः आवेदित पुनर्गठित भूखण्ड के सामने जोनल प्लान की 30 मीटर चौड़ी सड़क का पूर्ण मार्गाधिकार मौके पर सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु आवश्यक भूमि आवेदक से निशुल्क समर्पित करवाई जावे।
- 3. आवेदित पुनर्गिठत भूखंड के सेटबैक क्षेत्र में निर्मित दुकाने एवं अन्य निर्माण को भू—उपयोग परिवर्तन आदेश / मांग पत्र जारी किये जाने से पूर्व हटवाया जाने की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
- 4. आवेदित पुनर्गिठत भूखंड के पूर्व दिशा में साईट प्लान अनुसार पार्किंग दर्शित है, जिस पर आवेदक द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। अतः पार्किंग क्षेत्र में निर्मित बाउण्ड्रीवाल को हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
- 5. आवेदक द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में समय—समय पर जारी आदेश अधिसूचना / परिपत्र में उल्लेखित समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

Signature yalid

Digitally signed by Ankar Dadheech Designation Additional Chief town Planner

Date: 2025.11.06 7:03:03 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18635866 eSign 1.0





www.jda.urban.rajasthan.gov.in

- 6. कार्यवाही विवरण जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में नियम 14(1) के तहत समस्त देय शुल्क यथा पुर्नग्रहण शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, भू—उपयोग उपान्तरण संबंधित समस्त शुल्क आदि (जो भी लेय हो) की जोन स्तर पर गणना कर आवेदक को मांग पत्र जारी किया जावे। तदोपरान्त नियम 14(2) से 14(5) की पालना जोन स्तर से की जावे।
- 7. पट्टाशुदा भूखण्डों के मामलों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से परिवर्तित भू उपयोग की लीज राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी एवं भू उपयोग परिवर्तन के अनुसार लीज—डीड / पूरक लीज—डीड जारी की जावे एवं पंजीकरण भी कराया जावे।
- 8. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25, के तहत पट्टाशुदा भूमि का पट्टे में किये गये भू—उपयोग परिवर्तन की जारी की जाने वाली अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त प्रकाशन के पश्चात ही भू—उपयोग परिवर्तन मान्य होगा।
- 9. आवेदक को भूखण्ड पर प्रस्तावित उपयोग अनुसार जविप्रा से प्रचलित भवन विनियमों अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अति.मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान) एवं सदस्य सचिव, जविप्रा स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति

क्रमांकः जविप्रा / अति.मु.न.नि. / मा.प्लान. / 2025 / डी-

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

- 1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जविप्रा को माननीय अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।
- 2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 4. निदेशक (नगर आयोजना),जविप्रा, जयपुर।
- 5. निदेशक (विधि),जविप्रा, जयपुर।
- अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
- 7. समस्त जोन उपायुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- उप निदेशक जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
- 9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेत्।

अति.मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान) एवं सदस्य सचिव, जविप्रा स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति

Signature yalid

Digitally signed by Ankar Dadheech Designation Additional Chief town Planner

Date: 2025.11.06.7:03:03 IST Reason: Approved